न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 27 / 2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1–लक्ष्मण पुत्र श्यामसुन्दर जाति माहेश्वरी 2–भंवरलाल पुत्र धुडाराम जाति विश्नोई निवासी लोहावट बी.बी. 3–बुधाराम पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी हिम्मतनगर (दयाकौर) 4–भागीरथ पुत्र रामाकिशन जाति विश्नोई निवासी सदरी 5–सुरेशकुमार पुत्र श्रीराम जाति विश्नोई निवासी राजाला (सदरी) 6–कंवरलाल पुत्र अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी हिम्मतनगर (दयाकौर) 7–शारदा पत्नी विष्णुकुमार जाति विश्नोई निवासी लोहावट बी.बी तहसील लोहावट जिला जोधपुर		1–सत्यनारायण पुत्र जगमालराम 2–सुमन पत्नी कमलकिशोर 3–हेना पत्नी तेजपाल 4–लक्ष्मणकुमार पुत्र सत्यनारायण सभी जातियान विश्नोई निवासी लोहावट बी.बी.तहसील लोहावट, जिला जोधपुर 5–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लोहावट, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–3–2018 जिसे उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 69 / 2014 अनवान सत्यनारायण वगैरा बनाम तहसीलदार लोहावट वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री बांकाराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की ओर से ।
3– श्री नवलसिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 16–6–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा लोहावट बी.बी.तहसील लोहावट के खसरा नंबर 209 की भूमि उनके द्वारा अलग अलग दिनांक को कय करने के अनुसार उक्त भूमि के नये बट्टा नंबर खसरा नंबर 209 / 2 रकबा 40 बीघा तथा खसरा नंबर 209 / 4 रकबा 35 बीघा भूमि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 सत्यनारायण के नाम, खसरा नंबर 209 / 3 रकबा 9 बीघा 05 बिस्वा भूमि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 सुमन के नाम, खसरा नंबर 209 / 7 रकबा 9 बीघा 05 बिस्वा भूमि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 3 हेना के नाम तथा खसरा नंबर 209 / 5 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 4 लक्ष्मणकुमार के नाम राजस्व रेकर्ड एवं जमाबंदी मे दर्ज होना बताते हुए उक्त खेत खसरा नंबर 209 के पश्चिम कटाण मार्ग के खसरा नंबर 190 / 2952 है

लोहावट से पीलवा जाने वाली डामर सडक राजस्व रेकर्ड मे अंकित नही होने से प्रार्थीगण को उनकी कब्जा काश्त की खातेदारी अधिकारो की सडक के पश्चिम दिशा की भूमि की पैमाईश करवाने के बावजुद खसरा नंबर 164/4 के खातेदार तारबंदी व बाड करने मे जानबूझकर बाधा पंहुचा रहे है जबकि पूर्व मे खसरा नबर 164 की तहसील के सर्वेदल द्वारा पैमाईश की गई और खसरा नंबर 164 मे आवासीय भवन व दुकाने इत्यादि निर्मित होने की वजह से तहसील सर्वे दल द्वारा भू प्रबंध विभाग की टीम से पैमाईश करवाने की रांय प्रकट की गई जिस पर भू प्रबंध विभाग की टीम और तहसील कार्यालय की टीम ने मिलकर दिनांक 31–12–2009 एवं 1–1–2010 को सम्पन्न पैमाईश मौका फर्द के माफिक प्रार्थीगण के खसरा नंबर 209 व उसके बट्टा नंबरान की कुल 100 बीघा भूमि के पश्चिम दिशा की कटाण रास्ता व सडक के बीच की भूमि की भू प्रबंध की पैमाईश माफिक पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–3–2018 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए भू प्रबंध विभाग की टीम और तहसील सर्वे दल द्वारा दिनांक 31–12–2009 एवं 1–1–2010 को सम्पन्न पैमाईश मौका फर्द के माफिक सभी पडौसी पक्षकारो को जरिये नोटिस सूचित कर विधिवत पत्थरगढी की कार्यवाही करने बाबत अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–3–2018 को पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांटगण की ओर से वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्थरगढी के प्रकरण को निस्तारण मे जो प्रक्रिया अपनाई है वह विधि अनुकुल नही होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट सर्वे दल द्वारा दिनांक 31–12–2009 एवं 1–1–2010 को आधार बता कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जबकि मौका रिपोर्ट खसरा नंबर 164 एवं उसके बट्टा नंबर की है न कि खसरा नंबर 209 या उसके बट्टा नंबर की तथा यह भी कथन किया कि इस मौका फर्द से खसरा नंबर 209 की सीमा तथा उसका रकबा तय नही किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि खसरा नंबर 209 की भूमि पूर्व मे सिवाय चक भूमि थी तथा इस भूमि का आवंटन या नियमन विधिविरूद्ध तरीके से किया गया था तथा रेस्पो0 के पास खरीदसुदा रकबे से ज्यादा भूमि पर कब्जा काश्त है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यो पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन

अति० सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–3–2018 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ग्राम लोहावट बी.बी. के खसरा नंबर 209 की भूमि के केतागण है तथा कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने पृथक पृथक विक्रय पत्रो के जरिये भूमि खरीद करने पर खरीदसुदा रकबे की भूमि के नये बट्टा नंबर डालते हुए रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के नाम राजस्व रेकर्ड एवं जमाबंदी मे दर्ज हुए । वक़ील रेस्पो0 ने कथन किया कि उनके खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि की पैमाईश भू प्रबंध विभाग की टीम और तहसील कार्यालय की टीम द्वारा दिनांक 31–12–2009 एवं 1–1–2010 को सम्पन्न पैमाईश मौका फर्द के माफिक करवाने के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0गण ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश मे दिनांक 31–12–2009 एवं दिनांक 1–1–2010 की पैमाईश एवं मौका फर्द पैमाईश के अनुसार संबंधित पडौसी पक्षकारो को नोटिस के जरिये सूचित कर विधिवत पत्थरगढी की कार्यवाही के आदेश पारित किये है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि रेस्पो0गण ग्राम लोहावट बी.बी. के खसरा नंबर 209 की भूमि के केतागण है तथा कथन किया कि कोई भी खातेदार अपने खातेदारी की भूमि की पैमाईश एवं पत्थरगढी करवाने हेतु स्वतंत्र है इसलिए रेस्पो0गण ने अपनी खरीदसुदा खातेदारी की भूमि की पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी करवाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–3–2018 आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया । जिसके आधार पर अपीलांट्स की उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित

जाता है कि अपील मे वर्णित ग्राम लोहावट बी.बी. स्थित अपीलांट्स एवं रेस्पो0गण के खातेदारी के खसरा नंबरान की भूमि के संबध मे तहसीलदार एवं भू प्रबंध विभाग की संयुक्त टीम द्वारा उक्त अपील मे वर्णित दोनो पक्षो एवं हितबद्ध खातेदारो को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति मे नये सिरे से पैमाईश करवाई जाकर उसके आधार पर विधिवत पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 16–6–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर